सचिका स0–07/बजट–46–01/2022 – 405(7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– **सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनांक– 30 / 01 /2025

विषयः– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुंगेर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु0 603.68 करोड़ (रुपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under part-XII" के तहत इस परियोजना हेतु कुल रू0 25,00,00,000/– (रूपये पच्चीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबध मे कहना है कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मुगेर मे 150 नामाकन क्षमता के साथ 630 बेड के अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रति चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल रु० 603.68 करोड (रुपये छ सौ तीन करोड अरसठ लाख) मात्र के तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन (प्रारभिक परियोजना प्रस्ताव) के आधार पर विभागीय राज्यादेश सख्या–11(7), दिनाक–21.04.2022 द्वारा स्वीकृति दी गयी है।

2–प्रस्तावित परियोजना हेतु मॉडल नक्शा एवं स्थूल प्राक्कलन CPWD Plinth Area Rate 2021 के आधार पर तैयार किया गया है। तैयार प्राक्कलन मे National Medical Council (NMC) के Guidelineके अनुसार एम0सी0आई0 की न्यूनतम आवश्कताओ को ध्यान मे रखते हुए चिकित्सा महाविद्यालय के ग्रामीण क्षेत्र मे होने के कारण सभी छात्राओ/छात्रो हेतु छात्रावास (720 +110=830 बेड) एवं आवासीय भवन (Type-II, Type- VII & Studio Apartment)का प्रावधान किया गया है। प्राक्कलन मे भवन निर्माण के अतिरिक्त सभी तरह के चिकित्सकीय उपकरण एवं फर्निचर, 11 मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर, सभी बेड पर मेडिकल गैस पाईपलाईन, CSSD, Laundry, Kitchen, 20 KLD Cryogenic Tankइत्यादि का भी प्रावधान किया गया है।

3– उक्त प्राक्कलन निर्माणाधीन अन्य चिकित्सा महाविद्यालयो पर आधारित है। इस परियोजना मे चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल निर्माण की लागत प्रति वर्गफीट 3700/– रुपये (Lift सहित) है, जबकि, आवासीय एव छात्रावास भवन की लागत प्रति वर्गफीट 2767/–रुपये (Lift सहित) है। इस परियोजना मे भवन निर्माण का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,19,415.00 वर्गमीटर है।

4–उक्त योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मत्रालय के पत्राक– F No 44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Part-XII-SACE-24, Dated· 22.11.2024 एव F No 44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar, Dated: 22.11.2024 तथा वित्त विभाग के पत्राक–701, दिनाक–22.11.2024 के द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under part-XII" के तहत स्वास्थ्य विभाग को भुगतान हेतु स्वीकृति दी गई है। द्वितीय अनुपूरक आगणन से इस मद मे रू० 25.00 करोड की राशि प्राप्त कर ली गयी है।

5–इस योजना हेतु अब तक आवटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है–

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	राशि (रू० मे)	व्ययादेश/आवंटनादेश स० एव दिनाक
1	2024–25	20,00,00,000	स०–178(7), दिनाक–17.09.2024
	कुल–	**20,00,00,000**	

6– मॉडल प्राक्कलन मे प्रस्तावित विभिन्न भवनो/अवयवों पर होने वाले व्यय का विवर . निम्नवत् है:–

Sl. No.	Description	Area (Sqm)	Amount (in Rs. Cr.)
1	Construction of 150 Admission Medical College	23650	92.80
2	Hospital Building (630 Bed)	56700	235.61
3	Hostel Building (720 Bed)	26850	79.20
4	Intern Hostel (110Bed)	4510	13.70
5	Residential Building (Type-II, Type- VII, Studio Apartment) for Staff and Faculty	4760	15.26
6	Recreation Centre	410	1.21
7	Patient Relative Accomodation (100 Bed) and Electrical Substation	2535	7 46
8	Site Development Boundary wall, UG Tank, STP, Rain water Harvesting and internal road and path, Sewer etc.		16.17
9	External electrification, DG, UPS, CCTV, HVAC and EPBAX etc.	-	23.43
10	Medical and Non Medical furniture for College, Hospital and Hostel	-	27.69
11	Modular OT, MGPS, CSSD, Laundry, Kitchen, BMS, Stretcher Guard, Curtain track, Cryogenic Tank etc.	-	21.01
12	Medical Equipment	-	60.00
	BMSICL Centage	-	10.14
	Total	-	**603.68**

7– अतएव राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मुगेर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु0 603 68 करोड (रुपये छ सौ तीन करोड अरसठ लाख) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 मे भारत सरकार द्वारा "Under part-XII" के तहत स्वास्थ्य विभाग को इस परियोजना हेतु कुल रू0 25,00,00,000/– (रूपये पच्चीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8–उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना द्वारा कराया जायेगा। वे निम्न बिन्दुओ को ध्यान मे रखते हुए कार्य करायेगे–

(क) बिहार चिकित्सासेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, पटना निविदा की शर्तो मे सुयोग्य एवं अनुभवी एजेसी के चयन की सुस्पष्ट प्रक्रिया अंकित करेगे।

(ख) कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत नही कराया जा रहा है।

(ग) कार्य बिहार वित्त नियमावली, 2005, पी0डब्ल्यू0डी0 कोड एव अन्य सरकारी अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(घ) कार्य को निर्धारित अवधि मे वाछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की जवाबदेही बिहार चिकित्सासेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, पटना की होगी।

(ड) योजना के कार्यान्वयन मे विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि के पुनरीक्षण की आवश्यकता पडी तो इसके लिए बिहार चिकित्सासेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के सबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

(च) बिहार चिकित्सासेवाएँएव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा जब तक कार्य पूर्ण नही हो जाए।

9–इस राशि के व्यय का वहन मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–050–भूमि– 0103–नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड–20–4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0103–53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

10– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

11– वित्त विभागीय पत्र सख्या–632वि०, दिनांक–04 07 2023 के क्रम मे निर्गत वित्त विभागीय पत्र सख्या–10792 / वि०, दिनांक–06.12 2023 के क्रम मे "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-XII" के लिए पूंजीगत परियोजनाओ से सबंधित चालू योजनाओ के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001के अन्तर्गत ledger ID---------मे जमा करेगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबधित बैंक खाते मे हस्तान्तरित कर दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेगे।

12–वित्त विभागीय पत्राक–432 / वि०, दिनाक–29 03 2023 एव पत्रांक–701, दिनांक–22.11 2024 के आलोक मे ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B मे विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र मे तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसगत वाउचर / उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

13– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561 / वि0(2), दिनाक–17 04 98, 2880 / वि0(2), दिनाक–06.05 06 एव 2938 / वि0(2), दिनाक–08 04 08, 2199 / वि0, दिनाक–24.03 2017 एवं 3758 / वि0, दिनांक–31.05.2017, 7111 / वि०(2), दिनाक–28.07.2022 एव 12888 / वि0, दिनाक– 03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

14– इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

15–प्रस्ताव एव प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

16–प्रारूप मे सहायक आतरिक वित्तीय सलाहकार / आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या–07 / बजट–46–01 / 2022 के पृष्ठ–57 / टि0 मे प्राप्त है।

17–यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30.1.25

(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापाक –07 / बजट–46–01 / 2022 – 405 (7) / रवा0, पटना, दिनाक–30 / 01 / 2025

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / प्रमडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमडल, मुगेर / जिला पदाधिकारी, मुगेर / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—7/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सबधित सभी को ई—मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

405 (7)
30/01/2025

30.1.25

सरकार के अपर सचिव।